

कार्यालय आदेश संख्या- 75/17

वर्माकाधि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के कार्यालय आदेश संख्या E/TRD/SS/14/2006 दिनांक 28.03.06 के द्वारा विद्युत विभाग के निम्नलिखित कर्मचारी की पदोन्नति वेतनमान (5000-8000)से वेतनमान (5500-9000) में हुआ था, लेकिन छठे वेतन आयोग के तहत उपरोक्त दोनों वेतनमान मर्ज होने के कारण वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रेलवे बोर्ड के पत्र सं.पीसी-V/2015/आईसी/1 दिनांक 08.04.16 के द्वारा संशोधित वेतन संरचना में 01.01.06 और रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली 2008 की अधिसूचना की तारीख के बीच पदोन्नति प्रदान किये जाने और बाद में पदोन्नति तथा फीडर पदों के संशोधन पूर्व वेतनमानों का विलय एक ही तद में किये जाने के मामलों में वेतन निर्धारण का लाभ दिये जाने का निर्देश दिया गया है, के आलोक में वेतन निर्धारण निम्नवत किया जाता है :- श्री रत्नेश कुमार राय, जे ई भू ट एम/वारा -

दिनांक	पूर्व वेतन	दिनांक	संशोधित वेतन
01.01.06	10140+4200=14340	01.01.06	10140+4200=14340
01.07.06	10570+4200=14770	28.03.06	10570+4200=14770
01.07.07	11020+4200=15220	01.07.07	11020+4200=15220
01.07.08	11480+4200=15680	01.07.08	11480+4200=15680
01.07.09	11950+4200=16150	01.07.09	11950+4200=16150
03.02.10पदोन्नति	11950+4600=16650	03.02.10	11950+4600=16650
01.07.10 विकल्प	12940+4600=17540	01.07.10	12940+4600=17540
01.07.11	13470+4600=18070	01.07.11	13470+4600=18070
01.07.12	14020+4600=18620	01.07.12	14020+4600=18620
01.07.13	14580+4600=19180	01.07.13	14580+4600=19180
01.07.14	15160+4600=19760	01.07.14	15160+4600=19760
01.07.15	15760+4600=20360	01.07.15	15760+4600=20360
18.09.15	15760+4200=19960	18.09.15	15760+4200=19960

कृते मण्डल रेल प्रबन्धक (का.)  
वाराणसी

दिनांक 13.07.17

इ एल/227/एसएससी/सीधी भर्ती/13

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. वमविप्र/वारा.
2. मंविइ/टीआरडी/वारा.
3. सीसेई/वारा.,
4. मु. कार्याधि/ विविध बिल
5. कार्यालय आदेश पुस्तिका 6. संबंधित कर्मचारी
7. मंडल मंत्री नरमू/अजा, अजजा एसो/ओ. बी. सी. एसो/वारा.

कृते मण्डल रेल प्रबन्धक (का.)  
वाराणसी